



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14052025-263089
CG-DL-E-14052025-263089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2038]

No. 2038]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 9, 2025/वैशाख 19, 1947

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 9, 2025/VAISAKHA 19, 1947

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2025

का.आ. 2083(अ).— केन्द्रीय सरकारने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकारके सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयकी अधिसूचना संख्या का. आ. 2304(अ) तारीख 14 जून, 2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेस वे एन एच - एन ई 4 के कि.मी. 30.960 से कि.मी. 68.400 (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ी करने /छह/ आठ लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 23 जुलाई, 2024 को "लोकमत" (मराठी) और दि फ्रि प्रेस जर्नल" (अंग्रेजी) दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-सी के अंतर्गत आपत्तियां प्राप्त हुई, तथा उन पर उचित रूप से विचार किया गया है तथा और उन आक्षेप का अननुज्ञात कर दिया है।

और सक्षम प्राधिकारीने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरणमें, केन्द्रीय सरकारको अपनी रिपोर्ट दें दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिका पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूपसे केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में मुंबई - वडोदरा एक्सप्रेस वे एन एच - एन ई 4 के कि.मी. 30.960 से कि.मी. 68.400 (महाराष्ट्र सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पालघर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पालघर					
गांव का नाम: धुकटण					
1	45/2	निजी	कृषी	0.1661	वाल्कृष्ण ठक्या पाटील, मोहन ठक्या पाटील, मनोहर ठक्या पाटील, पुंडलिक ठक्या पाटील, संतोष ठक्या पाटील, रुक्मिणी वामन पाटील, दर्शना वामन पाटील, द्वारकाबाई ठक्या पाटील, कुंती ठक्या पाटील, अनुसया ठक्या पाटील, तारा ठक्या पाटील, हिरा गणपत पाटील, सुरेश गणपत पाटील, दिलीप गणपत पाटील, रमेश गणपत पाटील, कुसुम गणपत पाटील, मीना

					गणपत पाटील, सविता गणपत पाटील, लक्ष्मीबाई गणपत पाटील, तुकाराम पांडुरंग पाटील, गोपीनाथ पांडुरंग पाटील, नारायण पांडुरंग पाटील, काळूराम पांडुरंग पाटील, हेमंत पांडुरंग पाटील, मयुरा पांडुरंग पाटील, रंजना राजाराम पाटील, अरविंद राजाराम पाटील, चैताली चेतन ठाकूर, विनया विजय पाटील, श्वेता विजय पाटील, रितेश विजय पाटील, लतिका लक्ष्मण पाटील, श्रद्धा शिवराम घरत, योगिता यदनेश्वर पाटील, महेंद्र पद्माकर पाटील, मानसी मनोज पाटील, स्मिता सदानन्द पाटील, विद्या विशाल पाटील, धीरज सदानन्द पाटील, विपुल सदानन्द पाटील. 45/2
			Total	0.1661	

[फा. सं. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2025

S.O. 2083(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O No. 2304(E) dated 14th June, 2024, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six/Eight laning, etc.), maintenance, management and operation Mumbai-Vadodara Expressway of NH-NE4 in the stretch of land from Km. 30.960 to Km. 68.400 (Maharashtra Section) in the district of PALGHAR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “Lokmat”(Marathi) and “The Free Press Journal”(English) both dated 23rd July, 2024; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And Whereas the competent Authority has received objections filed under Section 3-C, Considered and settled the same appropriately.

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEUDLE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 30.960 to Km. 68.400 (Maharashtra Section) Mumbai - Vododara Expressway NH- NE4 in the district of Palghar in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: PALGHAR			
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Palghar					
Village: Dhuktan					
1	45/2	Private	Agricultural	0.1661	Balkrushna Thakya patil, Mohan thakya patil, Manohar Thakya Patil, Pundlik Thakya Patil, Santosh Thakya Patil, Rukmini Vaman Patil, Darshana Vaman Patil, Dwarkabai thakya Patil, Kunti Thakya Patil, Anusaya Thakya Patil, Tara Thakya Patil, Hira Ganpat Patil, Suresh Ganpat Patil, Dilip Ganpat Patil, Ramesh Ganpat Patil, Kusum Ganpat Patil, Meena Ganpat Patil, Savita Ganpat Patil, Laxmibai Ganpat

					Patil, Tukaram Pandurang Patil, Gopinath Pandurang Patil, Narayan Pandurang Patil, Kaluram Pandurang Patil, Hemant Pandurang Patil, Mayura Pandurang Patil, Ranjana Rajaram Patil, Arvind Rajaram Patil, Chaitali Chetan Thakur, Vinaya Vijay Patil, Shweta Vijay Patil, Ritesh Vijay Patil, Latika Laxman Patil, Shradha Shivram Gharat, Yogita Yadneshwar Patil, Mahendra Padmakar Patil, Mansi Manoj Patil, Smita Sadanand Patil, Vidya Vishal Patil, Dhiraj Sadanand Patil, Vipul Sadanand Patil 45/2
Total	0.1661				

[F. No. NHAI/PIU/Surat (Expressway)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director